कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म0प्र0)

परिपत्र

क्रमांक 552/दो–1–8/19 होशंगाबाद, दिनांक 23.05.2020

प्रति

(1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण,
(2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण
होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद(म.प्र.)
(3) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद

विषयः न्यायालय के साक्ष्य लेखकों से अभिलेखागार में संचित निराकृत अभिलेखों के निर्णय एवं आदेश सी.आई.एस. साफ्टवेयर में दर्ज कराने के संबंध में।

संदर्भः रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक रजिस्ट्रार आई.टी./एस.ए./2020/564 जबलपुर, दिनांक 27.04.2020

---00---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ अनुसार कोरोना वायरस(कोविड–19) के संक्रमण को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों में साक्षियों को आहुत नहीं किया जारहा है, इस कारण प्रत्येक न्यायालय में पदस्थ साक्ष्य लेखकों के पास कोई कार्य नहीं है। अभिलेखागार में संचित निराकृत अभिलेखों का निकट भविष्य में डिजिटलाइजेशन व स्केनिंग के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा नियुक्त चंद संविदा कर्मियों द्वारा निराकृत अभिलेखों के निर्णय एवं आदेश सी.आई.एस. में दर्ज करने का कार्य संपन्न कराने में स्वभाविक विलंब को दृष्टिगत रखते हुए कोविड–19 की संक्रमण की वर्तमान अवधि में व निकट भविष्य में जब तक न्यायालयों में साक्षियों को आहुत नहीं किये जा रहे हैं, तब तक प्रत्येक न्यायालय के साक्ष्य लेखक की ड्यूटी अभिलेखागार में संचित निराकृत अभिलेखों के निर्णय एवं आदेशों को सी.आई.एस.. में अपलोड करने अथवा पूर्व से दर्ज अभिलेखों का सत्यापन करने का कार्य संपादित कराया जाना अपेक्षित है।

जिले में कार्यरत सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने न्यायालय में पदस्थ साक्ष्य लेखक को आदेशित कर अभिलेखागार में संचित निराकृत अभिलेखों के निर्णय एवं आदेश सी.आई.एस. में दर्ज/सत्यापन कार्य संपादित कराना सुनिश्चित करें।

प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार होशंगाबाद/इटारसी/सोहागपुर/पिपरिया को निर्देशित किया जाता है कि वे अभिलेखापाल को आदेशित करें कि प्रत्येक दिवस न्यायालय के साक्ष्य लेखकों को संचित, निराकृत अभिलेख के बस्ते पावती लेकर दर्ज करने को उपलब्ध करावें ताकि वे अपने न्यायालय के कम्प्यूटर पर अभिलेखों के निर्णय व आदेश अपलोड करने का कार्य संपादित करें तथा कार्य संपादन उपरांत अभिलेखों का बस्ता वापिस लाने पर प्रत्येक अभिलेख वापसी जमा का मिलान कर पावती निरस्त करते हुए अभिलेखों की पुर्नप्राप्ति दर्ज कर संबधित साक्ष्य लेखक की डेली डायरी में तदाशय की टीप अंकित करें।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

<u>कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म0प्र0)</u>

पृ0क्र0 841/दो–1–8/19 होशंगाबाद, दि0 27.07.20

कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 522/दो–1–8/19 होशंगाबाद, दिनांक 23.05.2020 की प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी(कम्प्यूटर एवं डिजिटाईजेशन) होशंगाबाद की ओर भेजकर आदेशानुसार निवेदन है कि समस्त न्यायालयों के साक्ष्य लेखकों से निराकृत प्रकरणों के निर्णय/आदेशों को सी.आई.एस./सी.एन.आर. साफ्टवेयर में अपलोड करने के कार्य को 15 दिवस में पूर्ण कराने हेतु प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में निर्णय व आदेश अपलोड कराये जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न : परिपत्र क्रमांक 522/दो–1–8/19
होशंगाबाद दिनांक 23.05.19 की
प्रतिलिपि पृष्ठभाग पर।

27/07/20

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)